

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई०पी०एस०

प्रकरण संख्या - 30/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

1-3 गोपालसिंह, सज्जन सिंह, सुजान सिंह पुत्र शम्भूसिंह राजपूत निवासीयान मेवदा तह० शाहपुरा - प्रार्थीगण

बनाम

प्रभूसिंह पिता सवाईसिंह राजपूत निवासी मेवदा तह० शाहपुरा

- विपक्षी

उपस्थिति :- श्री त्रिलोक चन्द नौलखा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 21/10/2020

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीगण के ग्राम मेवदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 147 रकबा 0.26 है०, 148 रकबा 0.37 है० कुल किता 2 रकबा 0.63 है० हैक्टेयर का प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी के मध्य आराजी के सीमादिह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम मेवदा संवत 2073 से 2076 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रवीकार किया जाकर मौजा मेवदा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 2 रकबा 0.63 है० हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी ऑफ सीजन में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 150/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
(भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
(भीलवाड़ा)